

[2023] 2 एस सी आर 900

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 2 एस सी आर।

ए.

अशोक राम परहाद और ओआरएस।

बनाम

महाराष्ट्र और ओआरएस का राज्य। (2023 की सिविल अपील संख्या 822)

बी.

15 मार्च, 2023

[संजय किशन कौल और अभय एस. ओका, जेजे।]

परंतुक वन अधिकारी (महाराष्ट्र वन सेवा, प्रथम श्रेणी में) (भर्ती) नियम, 1984-आर.2 - महाराष्ट्र वन सेवा, समूह ए (जूनियर स्केल) (भर्ती) नियम, 1998-आरआर।3(बी), 6-जिन अपीलार्थियों की भर्ती 2014 में की गई थी और जिन्होंने प्रशिक्षण लिया था, उन्हें 2016 में नामांकन (प्रत्यक्ष नियुक्ति) के माध्यम से सहायक वन संरक्षक (एसीएफ) के पद पर नियुक्त किया गया था, जबकि प्रत्यर्थी संख्या।4 9 तक को 2014 में सीधे ए. सी. एफ. के पद पर पदोन्नत किया गया था और उन्हें उपरोक्त प्रशिक्षण से गुजरने की आवश्यकता नहीं थी-अपीलार्थियोंओं ने न्यायाधिकरण के समक्ष यह घोषणा करने के लिए आवेदन दायर किया कि उनकी नियुक्ति पर प्रशिक्षण शुरू होने की तारीख से विचार किया जाए और प्रशिक्षण अवधि को सेवा की अवधि माना जाए-परिवीक्षा/कर्तव्य पर प्रशिक्षण की अवधि पर विचार करके ए. सी. एफ. के पद के लिए निर्धारित वेतनमान के अनुसार वेतन के भुगतान के लिए भी निर्देश मांगा गया था-न्यायाधिकरण ने आंशिक रूप से अपीलार्थियोंओं के आवेदन को अनुमति दी-प्रत्यर्थी नं.1 खारिज कर दिया गया-इसके बाद, सरकार ने निर्णय को स्वीकार करते हुए, यह संकल्प करते हुए प्रस्ताव पारित किया कि प्रशिक्षण अवधि के सफल समापन को सभी सेवा उद्देश्यों के लिए प्रशिक्षण की शुरुआत की तारीख से नियमित सेवा माना जाएगा-प्रस्ताव में यह भी प्रावधान किया गया है कि नामांकन द्वारा नियुक्त ए. सी. एफ. पर उनके प्रशिक्षण की प्रारंभिक तिथि से विचार किया जाएगा और वरिष्ठता पर तदनुसार विचार किया जाएगा-प्रत्यर्थी संख्या।4 9 ने उच्च न्यायालय के समक्ष इस आधार पर रिट याचिका दायर की कि हालांकि उन्हें अपीलार्थियों के समक्ष ए. सी. एफ. के रूप में पदोन्नत किया गया था, लेकिन ए. सी. एफ. की वरिष्ठता सूची में अपीलार्थियों से कनिष्ठ दिखाया गया था-उच्च न्यायालय ने राय दी कि प्रतिवादी न्यायाधिकरण के आदेश से प्रशिक्षण अवधि शुरू होने की तारीख से अपीलार्थियों को वेतन और वेतनमान के भुगतान का निर्देश देने

की सीमा तक प्रभावित नहीं होंगे, क्योंकि प्रतिवादी का अधिकार केवल वरिष्ठता और मंडल वन अधिकारी (डी. एफ. ओ.) के पद पर पदोन्नति पर विचार करते समय प्रभावित होगा- न्यायाधिकरण का उन्हें वेतन देने का निर्देश

सी.

डी.

ई.

एफ.

जी.

एच.

900 ए.

901

अशोक राम परहाद और ओ. आर. एस. महाराष्ट्र और ओआरएस का राज्य।

वेतनमान के अनुसार उचित पाया गया-वरिष्ठता के संबंध में, उच्च न्यायालय ने कहा कि नामांकन द्वारा ए. सी. एफ. के पद के लिए चुने गए व्यक्तियों की वरिष्ठता को पदोन्नति द्वारा ए. सी. एफ. में नियुक्त व्यक्ति के प्रशिक्षण के सफल समापन के बाद नियुक्ति आदेश जारी करने की तारीख से गिना जाएगा-अपील पर कहा गया:परंतुक से आर।2 1984 के नियमों में से स्पष्ट है-नियुक्ति भर्ती प्रक्रिया से अलग है, जो प्रशिक्षण की शुरुआत के साथ शुरू होती है-उच्च न्यायालय का विचार सही है-सरकारी प्रस्ताव वैधानिक नियमों को ओवरराइड नहीं कर सकते हैं-वर्तमान मामले में, प्रस्ताव इस संदर्भ में पारित किए गए हैं कि जो व्यक्ति सफलतापूर्वक प्रशिक्षण पूरा करता है, उसे अपनी प्रशिक्षण अवधि के लिए प्रभावी रूप से मौद्रिक मुआवजा मिलता है और वह उससे वंचित नहीं होता है-यह अंतर वरिष्ठता निर्धारित करने के लिए प्रारंभिक भर्ती प्रक्रिया की तारीख से वरिष्ठता देने के बराबर नहीं हो सकता है, जब परंतुक आर।2 1984 के नियमों में सीधी भर्तियों के लिए नियुक्ति की तारीख स्पष्ट की गई है-भले ही सरकारी प्रस्ताव दिनांक 25.01.1990 ने ACF के पद को श्रेणी II से श्रेणी I में अपग्रेड कर दिया हो, लेकिन परंतुक आर।2 1984 के नियम सेवा की अवधि निर्धारित करने में वैध बने रहेंगे-इसके अलावा, आरआर।31988 के नियमों के बी और 6 में कोई अस्पष्टता नहीं है और वास्तव में इसे अनुरूप पढ़ा जाता है और परीक्षा की अवधि को सेवा की अवधि से अनिवार्य रूप से बाहर रखा जाना चाहिए-प्रस्ताव न तो डी. एफ. ओ. के पद पर पदोन्नति के बारे में बात करते हैं और न ही वरिष्ठता के बारे में निर्णायक रूप से, परंतुक पूर्ण बल के साथ काम करेगा-राज्य वन सेवा अधिकारियों के लिए प्रवेश और प्रशिक्षण नियम (संशोधित), 2004-भारत का संविधान-अनुच्छेद 309।

बी.

सी.

डी.

ई.

सेवा कानून-वैधानिक नियम के संबंध में सरकारी प्रस्ताव-आयोजित किए गए:सेवा न्यायशास्त्र में, सेवा नियम प्रबल होने के लिए उत्तरदायी हैं-सरकारी प्रस्ताव नियमों के अनुरूप या व्याख्या करने वाले हो सकते हैं, लेकिन उनके साथ टकराव में नहीं हो सकते हैं-प्रशासनिक विभाग द्वारा जारी किए गए सरकारी प्रस्तावों को वैधानिक नियम का दर्जा नहीं हो सकता है।

एफ.

याचिका खारिज करते हुए न्यायालय ने कहा,

जी.

यह अभिनिर्धारित किया कि **-1.1** सेवा न्यायशास्त्र में, सेवा नियम प्रबल होने के लिए उत्तरदायी हैं।सरकारी प्रस्ताव नियमों के अनुरूप या व्याख्या में हो सकते हैं, लेकिन उनके साथ टकराव में नहीं हो सकते हैं।संविधान के अनुच्छेद **309** यानी **1984** के नियम, नियम **2** के तहत बनाए गए वैधानिक नियम नियुक्ति को संदर्भित करते हैं।

एच.

902 सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट [2023] 2 एस. सी. आर.

ए.

डी. एफ. ओ. के पद पर और उसे महाराष्ट्र वन सेवा के अधिकारियों के बीच से पदोन्नति द्वारा और सीधे नियुक्ति द्वारा भी किया जाना है।**1984** के नियमों के नियम **2** का परंतुक स्पष्ट और स्पष्ट है, अर्थात् सरकारी वन महाविद्यालयों में प्रशिक्षण पर खर्च की गई अवधि और परीक्षा की विस्तारित अवधि, यदि कोई हो, सहित परीक्षा की अन्य अवधि को सेवा की अपेक्षित अवधि के लिए नहीं गिना जाएगा।” इस प्रकार, जो परिकल्पना की गई है वह यह है कि नियुक्ति भर्ती प्रक्रिया से अलग है, जो प्रशिक्षण की शुरुआत के साथ शुरू होती है।एक उम्मीदवार के प्रशिक्षण को संतोषजनक रूप से पूरा नहीं करने की संभावना हो सकती है, जिसके परिणामस्वरूप उम्मीदवार को परीक्षा पर हटा दिया जाता है।इस तरह की परीक्षा अवधि को यह देखने के लिए भी बढ़ाया जा सकता है कि क्या कोई उम्मीदवार प्रदर्शन में सुधार करता है।(इसलिए, भले ही सरकारी प्रस्ताव दिनांक **1** ने ए. सी. एफ. के पद को द्वितीय श्रेणी से प्रथम श्रेणी में उन्नत कर दिया हो, **1984** के नियमों के नियम **2** का परंतुक सेवा की अवधि निर्धारित करने में मान्य रहेगा।)[पैरा **25**] [**911-एफ-जी; 912-ए-बी**]

बी.

सी.

डी.

1.2 उपरोक्त संदर्भ में यदि यह न्यायालय **1998** के नियमों, विशेष रूप से नियम **3 (बी)** की ओर मुड़ता है, तो शर्त यह है कि नामांकन के मामले में, यह आयोग द्वारा नियमों के अनुसार आयोजित प्रतियोगी परीक्षा के परिणाम पर आधारित है और उम्मीदवार के लिए "सफलतापूर्वक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम पूरा करना" आवश्यक है।" नियम **6** में प्रधान मुख्य वन संरक्षक द्वारा तय किए गए दो साल के एसीएफ प्रशिक्षण पाठ्यक्रम और एक साल के क्षेत्र प्रशिक्षण सहित तीन साल की अवधि के लिए परीक्षा का प्रावधान है। इस प्रकार, इन मौजूदा नियमों को पढ़ने से भी इस तरह की सीधी भर्ती की प्रक्रिया काफी स्पष्ट हो जाती है। राज्य वन सेवा अधिकारियों के लिए प्रवेश और प्रशिक्षण नियम (संशोधित), **2004 ("2004 नियम")** चरित्र में व्यापक हैं और यह निर्धारित करते हैं कि भर्ती प्रक्रिया कैसे होगी। अपीलार्थियों की ओर से **1998** के नियमों के नियम **6** के तहत "नामांकन द्वारा पद पर नियुक्त व्यक्ति" अभिव्यक्ति पर अत्यधिक जोर दिया गया है, उस संदर्भ की सराहना किए बिना जिसमें इस तरह की अभिव्यक्ति का उपयोग किया गया है। यह तर्क देते हुए कि उच्च न्यायालय द्वारा दी गई व्याख्या नियम **6** के प्रारंभिक भाग को अनुचित बनाने के बराबर होगी, जिस बात पर ध्यान नहीं दिया जा सकता है वह यह है कि यदि अपीलार्थियों की याचिका स्वीकार की जानी थी, तो यह **1984** के नियमों के नियम **2** के परंतुक को अनुचित बनाने के बराबर होगा। द ए.

ई.

एफ.

जी.

एच.

903

अशोक राम परहाद और ओ. आर. एस. महाराष्ट्र और ओआरएस का राज्य।

प्रशासनिक विभाग द्वारा जारी किए गए सरकारी प्रस्तावों को वैधानिक नियम का दर्जा नहीं दिया जा सकता है, हालांकि ऐसे प्रस्तावों का अपना प्रभाव हो सकता है। उच्च न्यायालय का दृष्टिकोण सही है। प्रस्ताव इस संदर्भ में पारित किए गए हैं कि जो व्यक्ति सफलतापूर्वक प्रशिक्षण पूरा करता है, उसे अपनी प्रशिक्षण अवधि के लिए प्रभावी रूप से मौद्रिक मुआवजा मिलता है और वह इससे वंचित नहीं रहता है। यह अंतर वरिष्ठता निर्धारित करने के लिए प्रारंभिक भर्ती प्रक्रिया की तारीख से वरिष्ठता देने के बराबर नहीं हो सकता है, जब **1984** के नियमों के नियम **2** के परंतुक में सीधी भर्तियों के लिए नियुक्ति की तारीख स्पष्ट की गई है। यह भी इस पृष्ठभूमि में है

कि प्रत्यक्ष रूप से नियुक्त लोगों को इस क्षेत्र में कोई अनुभव नहीं है क्योंकि उन्हें नए सिरे से भर्ती किया गया है, लेकिन पदोन्नत व्यक्ति इस कार्य को कर रहे हैं। वर्तमान मामले में, नियम में शामिल किए जा रहे **1984** के नियमों के नियम **2** के परंतुक के तथ्य को एक अर्थ दिया जाना चाहिए, अन्यथा, इसका मतलब यह होगा कि परंतुक अनुचित हो गया है। यह नहीं कहा जा सकता है कि परंतुक को पदोन्नति के पहलू के संदर्भ में नहीं पढ़ा जाना चाहिए। **1988** के नियमों के नियम **3** बी और **6** भी इस संबंध में कोई अस्पष्टता नहीं छोड़ते हैं और वास्तव में इसे अनुरूप पढ़ा जाता है और परिवीक्षा की अवधि को अनिवार्य रूप से सेवा की अवधि से बाहर रखा जाना चाहिए। मौद्रिक लाभ का अनुदान एक अलग पहलू है। इस निष्कर्ष पर पहुंचने पर कि सरकारी प्रस्ताव वैधानिक नियमों को ओवरराइड नहीं कर सकते हैं, और प्रस्तावों में न तो डी. एफ. ओ. के पद पर पदोन्नति के बारे में बात की गई है और न ही वरिष्ठता के बारे में निर्णायक रूप से, परंतुक पूरी ताकत के साथ काम करेगा। लागू नियम मामले में कोई अस्पष्टता नहीं छोड़ते हैं और इन्हें कायम रहना चाहिए। [पारस **26-32**] [**912-C-H; 913-A, C-F**]

बी.

सी.

डी.

ई.

आर. एस. अजारा और ओआरएस बनाम गुजरात राज्य (**1997**) 3 एस. सी. सी. **641**;
प्रफुल्ल कुमार स्वैन बनाम प्रकाश चंद्र मिश्रा

एफ.

& ओआरएस। (1993) 3 पूरक एस. सी. सी. **181**; कमांडेंट, 11 वां

बटालियन, ए. पी. स्पेशल पुलिस (आई. आर.) बनाम बी. शंकर नाइक

(2003) 5 एस. सी. सी. 580-संदर्भित। संदर्भित निर्णय

जी.

(1997) 3 एस. सी. सी. 641

संदर्भित किया गया है

पैरा **10**

(1993) 3 पूरक एस. सी. सी. 181

संदर्भित किया गया है

(2003) 5 एस. सी. सी. 580

संदर्भित किया गया है

पैरा 18

एच.

904

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 2 एस सी आर।

ए.

सिविल अपीलीय न्यायनिर्णय:सिविल अपील सं. 822

2023.

2019 के डब्ल्यू. पी. संख्या 2026 में औरंगाबाद में बॉम्बे उच्च न्यायालय के न्यायिक निर्णय और आदेश दिनांक 23.04.2021 से।पी. एस. पटवालिया, वरिष्ठ अधिवक्ता, सोमिरन शर्मा, अपीलार्थियों के अधिवक्ता।सुधांशु एस. चौधरी, अनिरुद्ध जोशी, सिद्धार्थ धर्माधिकारी, आदित्य अनिरुद्ध पांडे, भारत बागला, अमित सिंह, लोकेश दत्त शर्मा, सुश्री कीर्ति दधीच, रामेश्वर प्रसाद गोयल, गगन संघी, आकाश काकडे, सोमनाथ पधन, अशोक आनंद, श्वेतब कुमार, पवन कौशिक, अधिवक्तागण उत्तरदाताओं के लिए।

बी.

सी.

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

संजय किशन कौल, जे।

1. यह एक और अंतहीन विवाद है जो सीधी भर्तियों और वरिष्ठता को बढ़ावा देने वालों के बीच उत्पन्न होता है।जिस पद के लिए भर्ती की गई थी वह सहायक वन संरक्षक (इसके बाद "एसीएफ" के रूप में संदर्भित) था।उक्त पद के लिए भर्ती का तरीका दो गुना था-नामांकन (प्रत्यक्ष नियुक्ति) और पदोन्नति।पदोन्नति द्वारा ए. सी. एफ. में भर्ती होने वाले व्यक्ति उस दिन से कार्यभार संभालते हैं जिस दिन से उन्हें उक्त पद पर पदोन्नत किया जाता है और उन्हें दो साल के ए. सी. एफ. प्रशिक्षण और एक साल के क्षेत्र प्रशिक्षण से गुजरने की आवश्यकता नहीं होती है।यह नामांकन द्वारा चुने गए और नियुक्त किए गए व्यक्तियों से अलग है जहां ऐसा प्रशिक्षण अनिवार्य है।

डी.

ई.

2. एसीएफ पद, बदले में, मंडल वन अधिकारी (इसके बाद "डीएफओ" के रूप में संदर्भित) के पद के लिए फीडर कैडर है। महाराष्ट्र वन सेवा में सहायक वन संरक्षक, समूह ए (जूनियर स्केल) (भर्ती) नियम, 1998 (इसके बाद "1998 नियम" के रूप में संदर्भित) के नियम 5 के अनुसार, एसीएफ के पद पर नियुक्ति 50 के अनुपात में होगी: 50 इन दोनों स्रोतों से।

एफ.

3. हमसे पहले अपीलार्थियों को 2016 में नामांकन के माध्यम से ए. सी. एफ. के पद पर नियुक्त किया गया था। उन्हें 2014 में भर्ती किया गया था और एक प्रशिक्षण से गुजरना पड़ा था। प्रत्यर्थी सं। 49 को 2014 में सीधे ए. सी. एफ. के पद पर पदोन्नत किया गया था।

जी.

मुकदमेबाजी का इतिहास:

4. महाराष्ट्र लोक सेवा आयोग, प्रत्यर्थी नं। 3, ए के कुल 33 पदों को भरने के लिए 14.12.2012 पर एक विज्ञापन जारी किया

एच.

905

अशोक राम परहाद और ओ. आर. एस. बनाम महाराष्ट्र और ओआरएस का राज्य। [संजय किशन कौल, जे।] ए.

महाराष्ट्र वन सेवा परीक्षा, 2012 के माध्यम से एसीएफ। अपीलार्थियों ने उस पद के लिए आवेदन किया, जिसके लिए चयन सूची 13.06.2013 पर प्रकाशित की गई थी। हालांकि, परीक्षा पर अपीलार्थियों को नियुक्त करने के लिए नियुक्ति आदेश जारी करने के बजाय, प्रत्यर्थी नं। 1 अपीलार्थियों को सूचित करते हुए 19.06.2013 दिनांकित एक पत्र जारी किया कि उन्हें पूर्व-नियुक्ति प्रशिक्षण के लिए भेजा जाएगा। अपीलार्थियों ने दावा किया कि इसे ठीक करने के लिए उनके अभ्यावेदन का जवाब नहीं दिया गया।

बी.

5. इस प्रकार अपीलार्थियों ने मुंबई में महाराष्ट्र प्रशासनिक न्यायाधिकरण (जिसे इसके बाद "न्यायाधिकरण" के रूप में संदर्भित किया गया है) के समक्ष एक आवेदन दायर किया जिसमें घोषणा की गई कि ए. सी. एफ. के रूप में उनकी नियुक्ति पर प्रशिक्षण शुरू होने की तारीख से विचार किया जाए और उनके द्वारा की गई प्रशिक्षण अवधि को सेवा की अवधि माना जाए।

उन्होंने प्रशिक्षण की अवधि को परिवीक्षा/कर्तव्य के रूप में देखते हुए ए. सी. एफ. के पद के लिए निर्धारित वेतनमान के अनुसार वेतन के भुगतान के लिए निर्देश देने की भी मांग की।

सी.

6. न्यायाधिकरण ने अपने दिनांक 03.02.2016 के आदेश के संदर्भ में, आंशिक रूप से अपीलार्थियों के आवेदन की अनुमति दी। यह देखा गया कि महाराष्ट्र वन सेवा वर्ग II (इसके बाद "1965 नियम" के रूप में संदर्भित) में ए. सी. एफ. के पद के लिए भर्ती नियम, जो दिनांकित 17.02.1965 के सरकारी प्रस्ताव के साथ थे, अन्य बातों के साथ-साथ यह भी प्रदान करते हैं कि एक उम्मीदवार प्रशिक्षण का निर्धारित पाठ्यक्रम पूरा करने के बाद ए. सी. एफ. के पद के लिए पात्र था। हालाँकि, ये नियम संविधान के अनुच्छेद 309 के तहत नहीं बनाए गए थे, और इन्हें कभी भी अंतिम रूप नहीं दिया गया था। इसके अलावा, मसौदा नियमों को 1998 के नियमों द्वारा हटा दिया गया था, जैसा कि 1998 के नियमों की प्रस्तावना में भी प्रदान किया गया था। प्रत्यर्थियों की याचिका कि उम्मीदवार को तीन साल के परिवीक्षा के सफल समापन के बाद नियमित वेतनमान दिए जाने के लिए पात्र होगा, को यह कहते हुए अस्वीकार कर दिया गया कि महाराष्ट्र सिविल सेवा (सेवाओं की सामान्य शर्तें) नियम, 1981 (जिसे इसके बाद "1981 नियम" के रूप में संदर्भित किया गया है) के नियम 10 की गैर-प्रयोज्यता के लिए कोई कारण नहीं दिया गया था, जिसके तहत व्यक्ति उस पद से जुड़ा न्यूनतम समय पैमाना निकालेगा जिसमें वह नियुक्त किया गया है। यह अभिनिर्धारित किया गया कि अपीलार्थियों परिवीक्षा के सफल समापन के बाद नियमित वेतन के हकदार होंगे, नियुक्ति की तारीख से पूर्वव्यापी रूप से, उन्हें पहले से ही भुगतान की गई 'वजीफे' की राशि में कटौती करने के बाद। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि यह घोषणा की गई थी कि अपीलार्थियों 01.02.2014 पर अपने प्रशिक्षण की शुरुआत से ही ACF के रूप में नियुक्ति के हकदार होंगे।

डी.

ई.

एफ.

जी.

एच.

906

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 2 एस सी आर।

7. प्रत्यर्थी द्वारा दायर समीक्षा आवेदन सं।1 न्यायाधिकरण के समक्ष यह देखते हुए खारिज कर दिया गया था कि क्या 1965 के नियम 'मसौदा' थे या नहीं, आवेदन के परिणाम पर कोई असर नहीं पड़ा, क्योंकि उन्हें 1998 के नियमों द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था और समीक्षा आवेदन में उठाए गए सभी मुद्दों को पहले ही मूल आवेदन में तय किया जा चुका था।

बी.

8. सरकार ने स्पष्ट रूप से उपरोक्त निर्णय को स्वीकार कर लिया और इस प्रकार एक प्रस्ताव पारित किया जिसमें यह संकल्प लिया गया कि प्रशिक्षण अवधि के सफलतापूर्वक पूरा होने को सभी सेवा उद्देश्यों के लिए प्रशिक्षण की शुरुआत की तारीख से नियमित सेवा माना जाएगा। प्रस्ताव में यह भी प्रावधान किया गया है कि नामांकन द्वारा नियुक्त ए. सी. एफ. पर उनके प्रशिक्षण की प्रारंभिक तिथि से विचार किया जाएगा और वरिष्ठता पर तदनुसार विचार किया जाएगा। प्रत्यर्थी एन. ओ. एस. 4 से 9 इसमें न्यायाधिकरण के समक्ष पक्षकार नहीं थे, लेकिन उच्च न्यायालय के समक्ष रिट याचिका दायर की, दोनों अपीलार्थियों के साथ-साथ महाराष्ट्र सरकार (जिसने न्यायाधिकरण के फैसले को स्वीकार कर लिया था) के खिलाफ। इन निजी उत्तरदाताओं ने दावा किया कि उन्हें 1987 से 1990 में रेंज वन अधिकारियों के रूप में नियुक्त किया गया था और उन्हें 2014-2015 में ACF के पद पर पदोन्नत किया गया था। उनकी शिकायत यह थी कि हालाँकि उन्हें यहाँ अपीलार्थियों के समक्ष ए. सी. एफ. के रूप में पदोन्नत किया गया था, लेकिन उन्हें ए. सी. एफ. की वरिष्ठता सूची में अपीलार्थियों से कनिष्ठ दिखाया गया था। 9. प्रत्यर्थी एन. ओ. एस. का मामला। 4 से 9 तक 1998 के नियमों पर आधारित था; अधिक विशेष रूप से उक्त नियमों के नियम 3 (बी) सहपठित नियम 6 और मंडल वन अधिकारी (महाराष्ट्र वन सेवा, वर्ग I में) (भर्ती) नियम, 1984 (इसके बाद "1984 नियम" के रूप में संदर्भित) के नियम 2 (बी) के परंतुक। उक्त नियमों को नीचे पुनः प्रस्तुत किया गया है:

सी.

डी.

ई.

1998 के नियमों का नियम 6

“नामांकन द्वारा पद पर नियुक्त व्यक्ति तीन साल की अवधि के लिए परिवीक्षा पर होगा, जिसमें दो साल का सहायक वन संरक्षक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम और 1 साल का क्षेत्र प्रशिक्षण शामिल है, जैसा कि प्रधान मुख्य वन संरक्षक, महाराष्ट्र राज्य, नागपुर द्वारा तय किया गया है।

एफ.

.....

जी.

1998 के नियमों के नियम 3 (बी)

“3. महाराष्ट्र वन सेवा में सहायक वन संरक्षक के पद पर नियुक्ति, समूह ए (जूनियर स्केल) या तो की जाएगी -

एच.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX A

907

अशोक राम परहाद और ओ. आर. एस. महाराष्ट्र और ओआरएस का राज्य। [संजय किशन कौल, जे।] ए.

(ख) समय-समय पर इस संबंध में बनाए गए नियमों के अनुसार आयोग द्वारा आयोजित प्रतियोगी परीक्षा के परिणाम के आधार पर सहायक वन संरक्षक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम के लिए चुने गए उम्मीदवारों में से नामांकन द्वारा और सफलतापूर्वक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम पूरा किया है।”

.....

बी.

1984 के नियमों के नियम 2 का परंतुक

“बशर्ते कि, सीधे सहायक वन संरक्षक के रूप में नियुक्त व्यक्तियों के मामले में, सरकारी वन महाविद्यालयों में प्रशिक्षण पर खर्च की गई अवधि और परीक्षा की विस्तारित अवधि, यदि कोई हो, सहित परीक्षा की अवधि को सेवा की अपेक्षित अवधि के लिए नहीं गिना जाएगा।”

सी.

10. महत्वपूर्ण पहलू 1984 के नियमों के नियम 2 का परंतुक है, जिसमें विशेष रूप से यह निर्धारित किया गया था कि सीधे नियुक्त ए. सी. एफ. द्वारा सरकारी वन महाविद्यालय में प्रशिक्षण पर खर्च की गई अवधि को डी. एफ. ओ. के संवर्ग में नियुक्ति के उद्देश्यों के लिए सेवा की अपेक्षित अवधि के लिए नहीं गिना जाएगा। यही निजी उत्तरदाताओं की याचिका का आधार है। उत्तरदाताओं ने भी एक फैसले पर भरोसा किया

डी.

आर. एस. अजारा और अन्य बनाम पर इस न्यायालय का गुजरात राज्य के लिए 1

यह प्रस्ताव कि एक प्रशासनिक प्रस्ताव सेवा नियमों के तहत स्पष्ट अधिकार को छीन नहीं सकता है।

ई.

11. दूसरी ओर, उच्च न्यायालय के समक्ष अपीलार्थियों का मामला यह था कि 1984 के नियमों के नियम 2 के परंतुक को सरकारी प्रस्ताव दिनांक 1 को देखते हुए अस्वीकार कर दिया गया था, जिसमें परिवीक्षा अवधि की शर्त को अनुभव की अवधि के रूप में नहीं माना जा रहा था। यह प्रस्तुत किया गया था कि 1998 के नियम 6 में निर्दिष्ट किया गया था कि नामांकन द्वारा पद पर नियुक्त व्यक्ति दो साल के एसीएफ प्रशिक्षण और एक साल के क्षेत्र प्रशिक्षण सहित तीन साल के लिए परिवीक्षा पर होंगे। 1965 के नियमों और 1998 के नियमों के बीच एक स्पष्ट अंतर था, क्योंकि पहले ने अलग से परिवीक्षा पर भर्ती और नियुक्ति का उल्लेख किया था, जबकि बाद वाले ने प्रशिक्षण की अवधि सहित तीन साल के लिए परिवीक्षा पर नियुक्ति का उल्लेख किया था। आर. एस. अजारा और अन्य के मामले में उसी फैसले पर भरोसा करते हुए। 2, यह तर्क दिया गया कि नियुक्ति से पहले की प्रशिक्षण अवधि पर भी वरिष्ठता के उद्देश्यों के लिए विचार किया जा सकता है।

एफ.

जी.

1 (1997) 3 एससीसी 641। 2 (ऊपर)।

एच.

908 सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट [2023] 2 एस. सी. आर.

उच्च न्यायालय के समक्ष कार्यवाही

12. उच्च न्यायालय ने 18.04.2019 दिनांकित एक अंतरिम आदेश पारित किया जिसमें प्रत्यर्थी अधिकारियों को न्यायाधिकरण के दिनांकित 03.02.2016 के फैसले के आधार पर कोई पदोन्नति आदेश जारी करने से रोक दिया गया। उपरोक्त आदेश को 23.08.2019 पर यह निर्देश देते हुए संशोधित किया गया था कि कोई भी पदोन्नति रिट याचिका के परिणाम के अधीन होगी।

बी.

13. इस मामले पर अंततः उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 23.04.2021 के विवादित फैसले के माध्यम से निर्णय दिया गया। यह राय दी गई थी कि प्रत्यर्थी एन. ओ. एस. 4 से 9 तक न्यायाधिकरण के आदेश से प्रशिक्षण अवधि शुरू होने की तारीख से अपीलार्थियों को वेतन और वेतनमान के भुगतान का निर्देश देने तक प्रभावित नहीं होंगे, क्योंकि डी. एफ. ओ. के पद पर वरिष्ठता और पदोन्नति पर विचार करते समय ही उत्तरदाताओं का अधिकार प्रभावित होगा। चूंकि 1998 के नियमों के नियम 6 के सहपठित पढ़े गए नियम 3 (बी) से पता चलता है कि प्रशिक्षण की अवधि को परिवीक्षा माना जाता है, इसलिए न्यायाधिकरण का उन्हें वेतनमान के अनुसार वेतन देने का निर्देश उचित पाया गया।

सी.

डी.

14. हालाँकि, वरिष्ठता के निर्धारण के पहलू पर, यह राय दी गई थी कि आर. एस. अजारा और अन्य का मामला। 3 एक तथ्यात्मक परिदृश्य पर था, जहां एसीएफ में नियुक्त व्यक्तियों की वरिष्ठता के निर्धारण के संबंध में नियमों के अभाव में, प्रशिक्षण की अवधि को ध्यान में रखते हुए गुजरात राज्य वन सेवा वर्ग II में सीधे भर्ती किए गए एसीएफ की वरिष्ठता के निर्धारण का सुझाव देते हुए एक सरकारी प्रस्ताव जारी किया गया था। एक संदर्भ था

ई.

प्रफुल्ल कुमार स्वैन बनाम प्रकाश चंद्र मिश्रा और

अन्य, 4 जहां उड़ीसा वन सेवा वर्ग II भर्ती नियम, 1959 के विनियम 12 (सी) में प्रावधान किया गया है कि सेवा में नियुक्ति प्रशिक्षण के सफल समापन के बाद ही शुरू की जानी है, और इसलिए वरिष्ठता की गणना नियुक्ति की तारीख से की जाएगी न कि भर्ती की तारीख से। वर्तमान मामले में वरिष्ठता निर्धारित करने के लिए ऐसा कोई सरकारी संकल्प या विनियमन मौजूद नहीं था।

एफ.

15. उच्च न्यायालय का तर्क 1984 के नियमों पर आधारित था जो संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक के तहत बनाए गए थे और जो वैधानिक रूप से प्रभावी हैं। दूसरी ओर, महाराष्ट्र सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा संविधान के अनुच्छेद 162 के तहत दिनांकित सरकारी प्रस्ताव जारी किया गया था और इसलिए 1984 के नियमों पर इसका कोई प्रबल प्रभाव नहीं पड़ता है। जबकि

जी.

3 (सुप्रा)।

4 1993 पूरक (3) एस. सी. सी. 181।

एच.

909

अशोक राम परहाद और ओ. आर. एस. महाराष्ट्र और ओआरएस का राज्य। [संजय किशन कौल, जे।] ए.

ए.

उक्त प्रस्ताव में प्रावधान है कि परिवीक्षा अवधि पर अनुभव के उद्देश्यों के लिए विचार किया जाएगा, 1984 के नियमों में परिवीक्षा और/या प्रशिक्षण पर खर्च की गई अवधि को बाहर रखने

की आवश्यकता है और केवल प्रशिक्षण और/या परीक्षा के सफल समापन पर नियुक्ति आदेश के बाद की अवधि की गणना डी. एफ. ओ. के पद पर पदोन्नति के उद्देश्यों के लिए की जानी चाहिए।

16. 1998 के नियमों की जांच करने पर भी उच्च न्यायालय इसी निष्कर्ष पर पहुंचा। यद्यपि उक्त नियमों में नामांकन द्वारा नियुक्त व्यक्तियों के बीच वरिष्ठता का निर्धारण निर्धारित किया गया है, उनकी वरिष्ठता तब तक निर्धारित नहीं की जाती है जब तक कि वे एसीएफ प्रशिक्षण पाठ्यक्रम की अंतिम परीक्षा उत्तीर्ण नहीं कर लेते। इस प्रकार, 1998 के नियमों का नियम 6 1998 के नियमों के नियम 3 (बी) के अनुरूप पाया गया, जहां आयोग एसीएफ प्रशिक्षण पाठ्यक्रम के लिए उम्मीदवारों का चयन करता है और प्रशिक्षण के सफल समापन और प्रतियोगी अंतिम परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद ही उम्मीदवारों को एसीएफ का नियुक्ति आदेश जारी किया जाएगा। यह देखा गया कि 1998 के नियम 7 में केवल नामांकन द्वारा नियुक्त ए. सी. एफ. की अंतर वरिष्ठता के निर्धारण की पद्धति निर्धारित की गई है और पदोन्नति और नामांकन द्वारा नियुक्त लोगों के बीच वरिष्ठता के निर्धारण का प्रावधान नहीं है। उच्च न्यायालय ने इस प्रकार निर्णय दिया कि नामांकन द्वारा ए. सी. एफ. के पद के लिए चुने गए व्यक्तियों की वरिष्ठता को पदोन्नति द्वारा ए. सी. एफ. में नियुक्त व्यक्ति के लिए प्रशिक्षण के सफल समापन के बाद नियुक्ति आदेश जारी करने की तारीख से गिना जाएगा।

बी.

सी.

डी.

इस न्यायालय के समक्ष कार्यवाही और तर्क:

ई.

17. एस. एल. पी. में नोटिस जारी करते समय, इस न्यायालय ने उस स्थिति को, जो विवादित फैसले से पहले प्रचलित थी, कुछ समय के लिए जारी रखने का निर्देश दिया। 07.02.2022 पर, यह प्रस्तुत किया गया था कि दोनों दलों को पदोन्नत नहीं किया गया था। 02.02.2023 पर छुट्टी दी गई थी।

एफ.

18. अपीलार्थियों की ओर से, ए. सी. एफ. के पद के निर्माण के इतिहास का पता लगाने का प्रयास किया गया था, जो पहले 1965 के नियमों द्वारा नियंत्रित द्वितीय श्रेणी का पद था। नामांकन द्वारा नियुक्ति चयन के बाद सफलतापूर्वक प्रशिक्षण का पाठ्यक्रम पूरा करने वाले उम्मीदवारों में से दो साल (विस्तार योग्य) के लिए परीक्षा पर थी। इस प्रकार, प्रशिक्षण और परीक्षा अलग-अलग शब्दावली थी और प्रशिक्षण को इस पद पर नियुक्ति के रूप में नहीं माना जाता था। हालांकि, 1998 के नियमों के अस्तित्व में आने के साथ इसे बदलने के लिए कहा

गया था। 1998 के नियमों के नियम 3 और 6 के संदर्भ में, प्रशिक्षण की अवधि को अब परिवीक्षा की अवधि माना जाता है और नियम 6 "नामांकन द्वारा पद पर नियुक्त व्यक्ति" अभिव्यक्ति के साथ शुरू होता है, जो है -

जी.

एच.

910

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 2 एस सी आर।

नियम 3 (बी) के तहत वर्णित। नामांकन द्वारा नियुक्ति प्रशिक्षण से पहले होती है और नियम 3 (बी) के तहत "और है" अभिव्यक्ति को नियम 3 (बी) को नियुक्ति के लिए पात्रता योग्यता निर्धारित करने के रूप में व्याख्या करने के लिए "बाद" के रूप में नहीं पढ़ा जाना चाहिए, अन्यथा नियम 6 के शुरुआती भाग को अन्य रूप में प्रस्तुत किया जाएगा। इस प्रकार यह प्रस्तुत किया गया कि उच्च न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचने में त्रुटि में पड़ गया कि नियुक्ति प्रशिक्षण पाठ्यक्रम के पूरा होने के बाद ही की जानी चाहिए, क्योंकि यह अभिव्यक्ति नियम 3 (बी) में नहीं पाई गई थी। रिलायंस को इस न्यायालय के फैसले पर रखा गया था

बी.

कमांडेंट, **11** वीं बटालियन, ए. पी. स्पेशल पुलिस (आई. आर.) बनाम बी. शंकर

नायक **5** ने तर्क दिया कि जो प्रशिक्षण दिया गया था उसे उद्देश्यहीन नहीं बनाया जा सकता है।

सी.

19. इसके बाद यह तर्क दिया गया कि सरकारी प्रस्ताव दिनांक **17.02.1997** सामान्य प्रशासनिक विभाग, महाराष्ट्र द्वारा "आदेश द्वारा और महाराष्ट्र के राज्यपाल के नाम पर" जारी किया गया था, जो संविधान के अनुच्छेद **309** के तहत एक मानित नियम है। उक्त प्रस्ताव में प्रावधान है कि परिवीक्षा के दौरान सेवा को पदोन्नति के लिए अनुभव माना जाना चाहिए। यह प्रस्तुत किया जाता है कि विवादित निर्णय को देखते हुए एक असंगत स्थिति उत्पन्न हुई है, जहां वेतन के उद्देश्यों के लिए, अपीलार्थियों को **01.12.2014** पर उनका प्रशिक्षण शुरू होने की तारीख से नियुक्त माना जाएगा, लेकिन चयन के लिए, नियुक्ति की तारीख पर प्रशिक्षण के सफल समापन पर जारी नियुक्ति आदेश के बाद विचार किया जाना है।

डी.

ई.

20. प्रफुल्ल कुमार स्वैन **6** मामले में निर्णय की मांग की गई थी

उड़ीसा वन सेवा वर्ग II भर्ती नियम, 1959 के विनियम 12 (सी) के अनुसार तथ्यों पर अलग किया जाना चाहिए, उक्त निर्णय में विचार किया गया है कि ऐसी सेवा प्रशिक्षण के पाठ्यक्रम के सफल समापन के बाद ही सेवा में नियुक्ति की तारीख से गणना की जाएगी।

एफ.

21. रिलायंस को 1981 के नियमों पर भी रखने की मांग की गई थी, विशेष रूप से नियम 9 (14) में परिवीक्षाधीन के रूप में सेवा को शामिल करने के लिए "कर्तव्य" और सरकार द्वारा या उसके आदेशों के तहत अधिकृत निर्देशों या प्रशिक्षण के पाठ्यक्रम को परिभाषित किया गया था। यह आगे प्रस्तुत किया गया कि 2004 के नियमों ने ए. सी. एफ. के पद पर नामांकन द्वारा नियुक्ति की तारीख निर्धारित नहीं की, और 1998 के नियमों ने भी पदोन्नत और प्रत्यक्ष भर्तियों के बीच अंतर वरिष्ठता निर्धारित करने के लिए कोई मार्गदर्शन नहीं दिया। यह कहा गया था कि वरिष्ठता के निर्धारण के लिए, महाराष्ट्र सिविल सेवा (वरिष्ठता का विनियमन) नियम, 1982 का नियम 4 लागू होगा।

जी.

5 (2003) 5 एससीसी 580। 6 (ऊपर)

एच.

911

अशोक राम परहाद और ओ. आर. एस. महाराष्ट्र और ओआरएस का राज्य। [संजय किशन कौल, जे।] ए.

ए.

22. दूसरी ओर, प्रत्यर्थियों ने यह तर्क देते हुए विवादित निर्णय का बचाव किया कि इस बात में कोई अस्पष्टता नहीं हो सकती है कि सरकारी वन महाविद्यालयों में प्रशिक्षण की अवधि और परिवीक्षा की विस्तारित अवधि, यदि कोई हो, को सेवा की अवधि की गणना के लिए अनिवार्य रूप से बाहर रखा जाना चाहिए। प्रत्यर्थियों को ए. सी. एफ. के रूप में नियुक्त किए जाने के लंबे समय बाद अपीलार्थियों के लिए नियुक्ति आदेश जारी किए गए थे। इसके अलावा, 1998 के नियमों के नियम 3 और 7 सहपठित नियम 2 (ए) ने स्पष्ट किया था कि नामित एसीएफ प्रशिक्षण पूरा होने के बाद ही नियुक्ति का हकदार होगा। प्रशिक्षण नहीं हो सका

बी.

केवल औपचारिकता और प्रफुल्ल कुमार स्वैन **7** मामले में, इस न्यायालय ने

इसी तरह के नियमों को लागू करते हुए कहा गया कि भर्ती केवल एक प्रारंभिक प्रक्रिया है और अंततः सेवा में नियुक्ति हो सकती है।

सी.

23. प्रत्यर्थियों ने आगे कहा कि अपीलार्थियों का दिनांकित सरकारी प्रस्तावों 25.01.1990, 29.07.1993 और 17.02.1997 पर भरोसा करने का प्रयास और यह दावा करना कि 1984 के नियमों के नियम 2 की कोई प्रासंगिकता नहीं है, गलत है क्योंकि सरकारी प्रस्ताव नियमों को ओवरराइड नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा, प्रस्ताव न तो डी. एफ. ओ. के पद पर पदोन्नति के बारे में बात करते हैं और न ही इस बारे में कि पदोन्नति या नामांकन द्वारा नियुक्त ए. सी. एफ. के लिए वरिष्ठता की गणना कैसे की जानी चाहिए।

डी.

निष्कर्ष:

24. हमने उपरोक्त प्रतिद्वंद्वी प्रस्तुतियों पर विचार किया है और विवादित निर्णय का अध्ययन किया है।

ई.

25. सेवा न्यायशास्त्र में, सेवा नियम प्रबल होने के लिए उत्तरदायी हैं। सरकारी प्रस्ताव नियमों के अनुरूप या व्याख्या में हो सकते हैं, लेकिन उनके साथ टकराव में नहीं हो सकते हैं। इस सामान्य प्रस्ताव को प्रस्तुत करने के बाद, हम अब प्रचलित नियमों के परिदृश्य की जांच करते हैं। यदि हम संविधान के अनुच्छेद 309, अर्थात् 1984 के नियमों के तहत बनाए गए वैधानिक नियमों की ओर मुड़ते हैं, तो नियम 2 डी. एफ. ओ. के पद पर नियुक्ति को संदर्भित करता है और इसे महाराष्ट्र वन सेवा के अधिकारियों के बीच पदोन्नति द्वारा और सीधे नियुक्ति द्वारा भी किया जाना है। 1984 के नियमों के नियम 2 का परंतुक स्पष्ट और स्पष्ट है, अर्थात् सरकारी वन महाविद्यालयों में प्रशिक्षण पर खर्च की गई अवधि और परिवीक्षा की विस्तारित अवधि, यदि कोई हो, सहित परिवीक्षा की अन्य अवधि को सेवा की अपेक्षित अवधि के लिए नहीं गिना जाएगा।” इस प्रकार, जो परिकल्पना की गई है वह यह है कि नियुक्ति भर्ती प्रक्रिया से अलग है, जो शुरू होती है

एफ.

जी.

7 (ऊपर)।

एच.

प्रशिक्षण की शुरुआत। एक उम्मीदवार के प्रशिक्षण को संतोषजनक रूप से पूरा नहीं करने की संभावना हो सकती है, जिसके परिणामस्वरूप उम्मीदवार को परीवीक्षा पर हटा दिया जाता है। इस तरह की परीवीक्षा अवधि को यह देखने के लिए भी बढ़ाया जा सकता है कि क्या कोई उम्मीदवार प्रदर्शन में सुधार करता है। (इसलिए, भले ही सरकारी प्रस्ताव दिनांक 1 ने ए. सी. एफ. के पद को द्वितीय श्रेणी से प्रथम श्रेणी में उन्नत कर दिया हो, 1984 के नियमों के नियम 2 का परंतुक सेवा की अवधि निर्धारित करने में मान्य रहेगा।)

बी.

26. उपरोक्त संदर्भ में यदि हम 1998 के नियमों, विशेष रूप से नियम 3 (बी) की ओर मुड़ते हैं, तो शर्त यह है कि नामांकन के मामले में, यह नियमों के अनुसार आयोग द्वारा आयोजित प्रतियोगी परीक्षा के परिणाम पर आधारित है और उम्मीदवार के लिए "सफलतापूर्वक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम पूरा करना" आवश्यक है।" नियम 6 में प्रधान मुख्य वन संरक्षक द्वारा तय किए गए दो साल के एसीएफ प्रशिक्षण पाठ्यक्रम और एक साल के क्षेत्र प्रशिक्षण सहित तीन साल की अवधि के लिए परीवीक्षा का प्रावधान है। इस प्रकार, इन मौजूदा नियमों को पढ़ने से भी इस तरह की सीधी भर्ती की प्रक्रिया काफी स्पष्ट हो जाती है। राज्य वन सेवा अधिकारियों के लिए प्रवेश और प्रशिक्षण नियम (संशोधित), 2004 (इसके बाद "2004 नियम" के रूप में संदर्भित) चरित्र में व्यापक हैं और यह निर्धारित करते हैं कि भर्ती प्रक्रिया कैसे होगी। 27. हमारा मानना है कि अपीलार्थियों की ओर से 1998 के नियमों के नियम 6 के तहत "नामांकन द्वारा पद पर नियुक्त व्यक्ति" अभिव्यक्ति पर अधिक बल दिया गया है, उस संदर्भ की सराहना किए बिना जिसमें इस तरह की अभिव्यक्ति का उपयोग किया गया है। यह तर्क देते हुए कि उच्च न्यायालय द्वारा दी गई व्याख्या नियम 6 के प्रारंभिक भाग को अनुचित बनाने के बराबर होगी, जिस बात पर ध्यान नहीं दिया जा सकता है वह यह है कि यदि अपीलार्थियों की याचिका स्वीकार की जानी थी, तो यह 1984 के नियमों के नियम 2 के परंतुक को अनुचित बनाने के बराबर होगा। प्रशासनिक विभाग द्वारा जारी किए गए सरकारी प्रस्तावों को वैधानिक नियम का दर्जा नहीं दिया जा सकता है, हालांकि ऐसे प्रस्तावों का अपना प्रभाव हो सकता है।

सी.

डी.

ई.

एफ.

28. हमें ऐसा लगता है कि उच्च न्यायालय का दृष्टिकोण सही है। प्रस्ताव इस संदर्भ में पारित किए गए हैं कि जो व्यक्ति सफलतापूर्वक प्रशिक्षण पूरा करता है, उसे अपनी प्रशिक्षण अवधि के लिए प्रभावी रूप से मौद्रिक मुआवजा मिलता है और वह इससे वंचित नहीं रहता है। यह अंतर वरिष्ठता

निर्धारित करने के लिए प्रारंभिक भर्ती प्रक्रिया की तारीख से वरिष्ठता देने के बराबर नहीं हो सकता है, जब 1984 के नियमों के नियम 2 के परंतुक में सीधी भर्तियों के लिए नियुक्ति की तारीख स्पष्ट की गई है। यह भी इस पृष्ठभूमि में है कि जबकि प्रत्यक्ष नियुक्तियों के पास कोई ए नहीं है

जी.

एच.

913

अशोक राम परहाद और ओ. आर. एस. महाराष्ट्र और ओआरएस का राज्य। [संजय किशन कौल, जे।]

इस क्षेत्र में अनुभव होने के कारण नई भर्ती की गई है, पदोन्नत व्यक्ति इस कार्य को कर रहे हैं।

29. हम इस बात की सराहना करने में विफल हैं कि कैसे प्रफुल्ल कुमार स्वैन 8 मामले में निर्णय को केवल "केवल" अभिव्यक्ति वाले विनियमन के कारण अलग किया जा सकता है। विभिन्न निर्णयों और विभिन्न नियमों के तथ्यात्मक परिदृश्यों या सामान्य परिभाषा का उल्लेख करना आवश्यक नहीं है कि "कर्तव्य" पर क्या होगा, जब प्रश्न में नियम काफी स्पष्ट है। हम आर. एस. अजार एंड ओआरएस के फैसले के संदर्भ में भी ऐसा कहते हैं। 9 किसी भी सेवा के मामले की तरह, चाहे नियुक्ति या पदोन्नति के मुद्दे पर, यह वही है जो नियम कहता है, जो मायने रखेगा। इस तरह के मुद्दों को तय करने के लिए कोई भी सामान्य सिद्धांतों को प्राप्त नहीं कर सकता है। हम इस बात की सराहना करते हैं कि ऐसे परिदृश्य हो सकते हैं जहां नियम विशेष रूप से विरोधाभास को बताता है। लेकिन, वर्तमान मामले में, नियम में शामिल किए जा रहे 1984 के नियमों के नियम 2 के परंतुक के तथ्य को एक अर्थ दिया जाना चाहिए, अन्यथा, इसका मतलब यह होगा कि परंतुक अनुचित हो गया है। यह नहीं कहा जा सकता है कि परंतुक को पदोन्नति के पहलू के संदर्भ में नहीं पढ़ा जाना चाहिए।

बी.

सी.

डी.

30. हम यह भी पाते हैं कि 1988 के नियमों के नियम 3 बी और 6 भी इस संबंध में कोई अस्पष्टता नहीं छोड़ते हैं और वास्तव में इसे अनुरूप पढ़ा जाता है और परिवीक्षा की अवधि को अनिवार्य रूप से सेवा की अवधि से बाहर रखा जाना चाहिए। जैसा कि पहले ही कहा जा चुका है, मौद्रिक लाभ का अनुदान एक अलग पहलू है। 31. इस निष्कर्ष पर पहुंचने पर कि सरकारी प्रस्ताव वैधानिक नियमों को ओवरराइड नहीं कर सकते हैं, और प्रस्तावों में न तो डी. एफ. ओ.

के पद पर पदोन्नति के बारे में बात की गई है और न ही वरिष्ठता के बारे में निर्णायक रूप से, परंतुक पूरी ताकत के साथ काम करेगा।

ई.

32. इस प्रकार हमारा स्पष्ट विचार है कि लागू होने वाले नियम मामले में कोई अस्पष्टता नहीं छोड़ते हैं और इन्हें कायम रहना चाहिए।

एफ.

33. उपरोक्त का परिणाम यह है कि अपील को खारिज कर दिया जाता है और पक्षकारों को अपनी लागत वहन करने के लिए छोड़ दिया जाता है।

दिव्या पांडे

याचिका खारिज कर दी गई।

जी.

(सहायक: रूपांशी विरंग, एलसीआरए)

8 (ऊपर)।9 (ऊपर)।

एच.